

उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग

प्रपत्र VI

समाहर्ता या समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

चुकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-कपका, थाना-बरकट्टा, थाना-सं0-71, अंचल-बरकट्टा, जिला-हजारीबाग में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा बरकट्टा से तेतरान पथ के कि0मी0 00.00 से कि0मी0 32.10 तक चौडीकरण/मजबूतीकरण हेतु भू अर्जन अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0 आई0 ए0 ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार-संक्षेप यथा निम्न है:-

परियोजना लोक हित में होने के कारण अतिमहत्वपूर्ण है अर्जनाधीन भूमि निम्नतम् है आवागमन की सुगम्यता तथा अनुयोजकता बढ़ेगी, बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा, बाजार में विपणन की संभावना, आधार भूत संरचना एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ होगा। भू-अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों की सं0 शून्य है। इस बाध्यकारी विस्थापन का कारण नीचे दिया गया है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-कपका, थाना-बरकट्टा, थाना-सं0-71, अंचल-बरकट्टा, जिला-हजारीबाग में उपर्युक्त कथित परियोजना के कमोवेश 0.959 एकड़ यानि 0.3882 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित अर्जनाधीन है जो निम्नवत है:-

क्र0 सं0	खाता संख्या	सर्वे प्लॉट सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	27	1936	निजी	टांड- III	0.044	लालु बढही पिता फेकन बढही	सडक	झारखण्ड सरकार	नीज	सडक
2	40	2626	निजी	टांड- III	0.005	केदार यादव पिता जनक यादव वो रूपी यादव पिता केहारी यादव ग्राम-कपका	नीज	सडक	सडक	सडक
3	40	2636	निजी	परती	0.004	जितनी देवी पति किपुन महतो वो केदार चारमनी पिता जनक यादव ग्राम-कपका	नीज	सडक	ललु बढही	सडक
4	22	2935	निजी	टांड- III	0.039	झखर राणा वगै0 पिता जितन राणा ग्राम-कपका	सडक	नीज	झारखण्ड सरकार	झारखण्ड सरकार
5	13	3108	निजी	धान- III	0.266	दुलारी देवी पति कामेश्वर प्रसाद वो हिरामन सिंह पिता रामानन्द सिंह ग्राम-कपका	नीज	नीज	झारखण्ड सरकार	बनवारी महतो
6	62	3109	निजी	टांड- III	0.19	बनवारी महतो पिता जोधी महतो वो कामेश्वर प्रसाद पिता रूपन महतो ग्राम-कपका, पनवा देवी पति चमन ठाकुर ग्राम-कपका	नीज	नीज	दूलारी देवी	गणेश महतो
7	88	3110	निजी	टांड- III	0.101	गणेश महतो वगै0 पिता रामेश्वर महतो ग्राम-कपका	नीज	नीज	बनवारी महतो	मनोज महतो
8	88	3112	निजी	टांड- III	0.07	मनोज महतो वगै0 पिता काषी महतो ग्राम-कपका	नीज	उमा देवी	गणेश महतो	झारखण्ड सरकार
9	65	3113	निजी	टांड- III	0.068	उमा देवी पति सुरेन्द्र यादव ग्राम-कपका	नीज	मनोज महतो	नीज	झारखण्ड सरकार
10	76	3114	निजी	टांड- III	0.016	मनोज महतो वगै0 पिता काषी महतो वो गणेश महतो वगै0 पिता बुधन महतो ग्राम-कपका	गणेश महतो	नीज	गणेश महतो	उमा देवी
11	90	3116	निजी	टांड- III	0.14	भुनेष्वर यादव पिता जानकी यादव ग्राम-कपका	नीज	नीज	मनोज महतो	झारखण्ड
12	78	3119	निजी	टांड- III	0.016	बुधन महतो वगै0 पिता छटु महतो ग्राम-कपका	सडक	नीज	झारखण्ड सरकार	सडक
कुल					0.959					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए

अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्व अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपतियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

उपायुक्त,
हजारीबाग।